न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
Civil Appeal No.– 118/2017
इकबाल आदि बनाम महमूद अली आदि।

<u>आदेश</u>

दिनांकः– 15.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 127क अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सी०पी०सी० दिनांकित 08.11.2024 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सिविल अपील में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा रेस्पोंडेंट/वादी मृतक के वारिसान के नाम व पते बताने हेतु माननीय न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं० 126ग प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2024 को उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये रेस्पोंडेंट/वादी के अधिवक्ता को रेस्पोंडेंट/वादी (मृतक) के वारिसान का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया था, जिसके संबंध में रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.10.2024 को माननीय न्यायालय में वारिसान प्रार्थनापत्र विवरण प्रस्तुत किया गया, इसके बाद बिना देरी के उक्त कायमी वारिसान प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। रेस्पोंडेंट/वादी का देहान्त दिनांक 10.08.2024 को हो चुका है, उसने अपने वारिसान के रूप में अपनी एक पत्नी हसीना बेगम, चार पुत्र मैराजुल इस्लाम, जहीरूल इस्लाम, मौ० सालिम, मौ० अजबर अली एवं एक पुत्री श्रीमति फसिया को छोड़ा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मैमोरेन्डम ऑफ अपील में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोंडेंट की ओर से कोई आपत्ति न होने का मौखिक कथन किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत सिविल अपील में रेस्पोन्डेंट/वादी संख्या– 1/1 हसीना बेगम की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान कायम करने हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति न होने का अंकन किया गया है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। तदनुसार अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 127क अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सी०पी०सी० दिनांकित 08.11.2024 स्वीकार जाता है। वांछित संशोधन नियमानुसार अग्रिम नियत दिनांक तक किया जाये।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04.08.2026 को पेश हो।

दिनांकः– 15.07.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

Honey Goel

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.07.24 15:05:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court